(30) धूम्रपान

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 7726/वि.स./ स्था. /2001 रायपुर—492 001 दिनांक 20/8/2001.

:: कार्यालय सूचना ::

प्राय: यह देखने में आया है कि विधानसभा भवन एवं परिसर में जगह-जगह पर पान/तंबाखू तथा सिगरेट के टुकड़े पाए जाते हैं, जिससे गंदगी एवं अस्वच्छता फैलती है । अत: विधानसभा भवन में पान/गुटखा/तंबाकू धूम्रपान का उपयोग निषिद्ध किया जाता है ।

आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि जो भी कर्मचारी/व्यक्ति पान/गुटखा खाकर थूकते हुए या सिगरेट के टुकड़े फैंकते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी । सुरक्षाकर्मियों/मार्शल का यह उत्तरदायित्व होगा कि धूम्रपान करते पाए जाने वाले अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल दें ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा.

(31)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर

क्रमांक 5604/वि.स./स्था./2002 रायपुर, दिनांक 16/5/2002

//कार्यालय सूचना//

इस सचिवालय के ज्ञापन क्रमांक/7726/वि.स./स्था./2001/ दिनांक 20.8.2001 के संदर्भ में आदेशानुसार पुनः सूचित किया जाता है, कि विधान सभा भवन एवं परिसर में जगह-जगह पर, पान, तम्बाकू, तथा सिगरेट के टुकड़े, पाये जाते हैं, जिसमें गंदगी एवं अस्वच्छता फैलती है, विधान सभा भवन में पान, गुटका तम्बाकू, धुम्रपान का उपयोग सर्वथा वर्जित है।

अतः जो भी अधिकारी/कर्मचारी गण पान, गुटका, सिगरेट के टुकड़े फेंकते हुए पाये जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, सुरक्षा कर्मियों/मार्शल का यह कर्तव्य होगा, कि धुमपान करते हुए पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी की सूचना तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारी को दें।

आदेश से

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

42

D:\DATA\PM\MAY1.P.PM5 (78)

(32)

विधान सभा सचिवालय
छत्तीसगढ़

क्रमांक 7899/वि.स./स्था./2003 रायपुर. दिनांक 22.7.03

// कार्यालय सूचना //

इस आशय की कार्यालयीन सूचना पूर्व में जारी की जा चुकी है कि विधानसभा भवन एवं परिसर में पान, तंबाकू, गुटखे खाकर आना एवं धूम्रपान वर्जित है । लेकिन इसके बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि इस सचिवालय के अधिकारी, कर्मचारीगण इस निर्देशों का पूर्णतया पालन नहीं कर रहे हैं । यह उचित स्थिति नहीं है । पान, तंबाकु, गुटखें और सिगरेट के टुकडों की वजह से न केवल गंदगी फैलती है वरन हर प्रमुख स्थान पर दाग-धब्बे की वजह से सचिवालय की छबी भी खराब होती है । अतः इस सचिवालय द्वारा जारी 20.8.01, 16.5.02 एवं 23.9.02 के निर्देशों को पुनः प्रसारित करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि जो भी अधिकारी एवं कर्मचारी इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी । सुरक्षा कर्मचारियों का यह दायित्व होगा कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराए और पालन न करने वालों का गोपनीय प्रतिवेदन सचिव को सीधे प्रस्तुत करें । आदेशों का पालन न करने पर सुरक्षा कर्मचारियों पर भी कार्यवाही होगी ।

22/7/03
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा
रायपुर.

24.

(33)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 6115/वि.स./स्था./2005 रायपुर–492001 दिनांक 17-6-05

// कार्यालय-सूचना //

विषय :- विधान सभा परिसर में धुमपान एवं पान गुटखा वर्जित .

उपरोक्त विषयान्तर्गत सचिवालय द्वारा दिनांक 20/8/2001, 16/5/2002 तथा 23/9/2003 को कार्यालय सूचना जारी किये जाने के बावजूद भी सचिवालय परिसर के अन्दर सिगरेट, पान-गुटखा, तम्बाकू आदि के कारण अनेक स्थानों /सीढ़ियों/शौचालयों आदि में गंदगी पाई जा रही है जो विधान सभा की गरिमा के अनुरूप नहीं है ।

अत: समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि विधान सभा की गरिमा के अनुकूल विधान सभा भवन तथा परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे इसे ध्यान में रखते हुये विषयांकित निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

आदेश /निर्देश/सूचना का पालन न करने की दशा में सफाई कर्मचारी अथवा सुरक्षा कर्मचारी अथवा अन्य द्वारा लिखित या मौखिक शिकायत स्थापना शाखा में प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

आदेश से,

हस्ता०

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृष्ठांकन क्रं/ 6946 /वि.स./स्था./2005 रायपुर, दिनांक 17-6-05

प्रतिलिपि :-

1. मान. अध्यक्ष महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
2. सचिव के स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
3. समस्त अधिकारी / शाखा प्रभारी एवं कर्मचारी गण, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(हस्ताक्षर)

अनुभाग अधिकारी,

छत्तीसगढ़ विधान सभा